



## PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

### PRESS RELEASE

#### **Assets under Management (AUM) of National Pension System (NPS) crosses Rs. 1 lac crore**

NPS has been implemented for all Government Employees (except armed forces) joining Central Govt. on or after 01 January 2004. Most of the State/UT Governments have also notified the National Pension System (NPS) for their new employees. NPS has been made available to every Indian Citizen from 01<sup>st</sup> May 2009 on a voluntary basis. Further, from 1<sup>st</sup> June 2015, the Atal Pension Yojana, has been launched which has given the much required impetus to the social security schemes. Currently, NPS and APY together have more than One Crore subscribers with total Asset Under Management (AUM) of Rs.1,00,275 crores. The segment wise status of the NPS and APY as on 03.10.2015 is as under:

Segment	No. of Subscribers	Asset under Management (Rs. Cr.)
Central Government	15,71,136	42,381
State Governments	27,74,459	47,974
NPS-Private Sector	5,24,143	7,943
NPS-Lite/Swavalamban	44,67,733	1,865
Atal Pension Yojana (APY)	7,94,467	112
<b>Total</b>	<b>1,01,31,938</b>	<b>1,00,275</b>

PFRDA has taken various steps at the policy as well as operational level to make NPS more subscriber friendly. In addition to this additional tax benefits made available exclusively to NPS has given a fillip to the scheme. This is further expected to result into a substantial increase in the subscriber base by end March 2016.



The following steps have been taken in the recent past for the convenience of the subscriber:

- The investment guidelines for NPS have been revised to expand the investment avenues for optimisation of the returns.
- Partial withdrawal upto 25% of subscriber's own contribution for specific purposes like higher education of children, marriage of children, construction of house and specified illness have been allowed to the NPS subscribers after completion of 10 years in NPS.
- NPS Private Sector subscribers can continue contributing beyond 60 years upto 70 years of age.
- NPS Subscriber can defer the withdrawal of lumpsum amount upto the age of 70 years and also have the option to defer purchase of annuity upto 3 years from the date of superannuation or 60 years. The funds during this period remain invested in the system.
- The Statement of Transactions (SOT) being sent by CRA to the existing subscribers has been modified to reflect the returns of the individual subscriber since the date of account opening and also the return generated during the last financial year.
- To facilitate and operationalize the deposit of additional contribution of Rs.50,000/- to avail of the additional tax benefit under Section 80 CCD(1B), Government Subscribers already covered under NPS have been provided the facility to deposit voluntary contributions in their Tier I account through any POP-SP. Government employee covered under old pension scheme can also avail this tax benefit by opening individual Tier I account through any POP-SP and contributing to the same.
- Online reset of password and facility to change mobile no. and email Id have been provided to all the NPS subscribers.



- SMS alerts on balances in the NPS account being sent to the subscribers on quarterly basis, in addition to regular monthly alerts on contribution and other changes in the PRAN.

APY scheme provides minimum Govt guaranteed monthly pension to subscribers ranging from Rs 1000 to Rs 5000. Further, Govt. of India also co-contributes 50% of the total contribution made by a subscriber during a financial year subject to maximum of Rs 1,000/- per annum for a period of five years, if eligible subscribers open the account by 31st December 2015. All Indian Citizens, in the age group of 18-40 years are eligible to join the scheme through any bank branch. About 8 lakh subscribers have joined APY till date.

PRESS RELEASE



## पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

### प्रेस विज्ञप्ति

#### राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्रबंधन के अधीन आस्तियां (एयूएम) 1 लाख करोड़ रुपये के पार

1 जनवरी 2014 को और उसके बाद नियुक्त केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया गया है। अधिकांश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने भी अपने नये कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया है। 1 मई 2009 से एनपीएस, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिससे सामाजिक सुरक्षा योजना को काफी बल मिला है वर्तमान में, 1,00,275 करोड़ रुपये की प्रबंधन के अधीन आस्ति (एयूएम) के साथ एनपीएस और एपीवाई दोनों के अभिदाताओं की संख्या एक करोड़ से अधिक है। 03.10.2015 को एनपीएस और एपीवाई की वर्गानुसार स्थिति इस प्रकार है :

वर्ग	अभिदाताओं की संख्या	प्रबंधन के अधीन आस्तियां (रु करोड़ में)
केन्द्र सरकार	15,71,136	42,381
राज्य सरकार	27,74,459	47,974
एनपीएस – निजी सेक्टर	5,24,143	7,943
एनपीएस– लाइट/स्वावलम्बन	44,67,733	1,865
अटल पेंशन योजना	7,94,467	112
<b>कुल</b>	<b>1,01,31,938</b>	<b>1,00,275</b>

एनपीएस को और अधिक उपभोक्ता उपयोगी बनाने के लिए पीएफआरडीए ने नीतिगत सहित परिचालन स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इस कड़ी में विशेष रूप से एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त कर लाभों से योजना को प्रोत्साहन मिला है, जिसके परिणामस्वरूप, मार्च 2016 के अंत तक इसके अभिदाताओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि का अनुमान है।

अभिदाताओं की सुविधा के लिए हाल ही में निम्न कदम उठाए गये हैं :-

- उम्मीद के मुताबिक प्रलिलाभों की प्राप्ति हेतु एनपीएस के लिए निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है

- एनपीएस में 10 वर्ष पूरे कर लेने पर एनपीएस अभिदाताओं को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, मकान बनाने और निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए अभिदाता के अंशदान में से 25 प्रतिशत तक के आंशिक अंशदान की अनुमति।
- एनपीएस निजी सेक्टर के अभिदाता 60 वर्ष की आयु के पश्चात भी 70 वर्ष की आयु तक अंशदान कर सकते हैं।
- एनपीएस अभिदाता एकमुश्त राशि के आहरण को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित कर सकते हैं और उनके पास वार्षिकी की खरीद को 60 वर्ष की आयु अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 3 वर्षों तक आस्थगित करने का विकल्प उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान निधि एनपीएस में निवेशित बनी रहेगी।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित प्रतिलाभ सहित खाता खोलने की तिथि से लेकर व्यक्तिगत अभिदाता के प्रतिलाभों को प्रदर्शित करने जैसे गुणों के साथ वर्तमान अभिदाताओं को सीआरए द्वारा भेजी जाने वाली संव्यवहार विवरणिका (एसओटी) में सम्मिलित किया गया है।
- 50,000 रुपये का अतिरिक्त अंशदान जमा कराने पर अनुच्छेद 80 सीसीडी (1 ख) के अंतर्गत मिलने वाले अतिरिक्त कर लाभ की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनपीएस में पहले से ही शामिल सरकारी अभिदाताओं को किसी भी पीओपी-एसपी के माध्यम से उनके टीयर 1 खाते में स्वैच्छिक अंशदान जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। पुरानी पेंशन योजना में शामिल सरकारी कर्मचारी भी किसी भी पीओपी-एसपी के माध्यम से टीयर खाता खुलवार व इसमें अंशदान करके अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए पासवर्ड को ऑनलाइन दोबारा निर्धारित करने और मोबाईल नम्बर तथा ई मेल आई डी में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- अंशदान और प्रान में अन्य परिवर्तनों की जानकारी के साथ नियमित मासिक अलर्ट के साथ ही एनपीएस खातों में मौजूद अतिशेष की जानकारी अभिदाताओं को एसएमएस अलर्ट के द्वारा त्रिमाही आधार पर भेजी जा रही है,

एपीवाई योजना में 31 दिसम्बर 2015 तक शामिल होने वाले योग्य अभिदाताओं को पांच वर्षों की अवधि के लिए रुपये 1000/- अथवा अभिदाता के अंशदान का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, के सरकारी सह-अंशदान देने के साथ-साथ अभिदाताओं को रुपये 1000 से 5000 तक की न्यूनतम सरकारी गारंटीयुक्त मासिक पेंशन उपलब्ध कराती है। 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के सभी भारतीय नागरिक किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकते हैं। लगभग 8 लाख अभिदाता इस योजना में शामिल हो चुके हैं।